785092335
644

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402
पत्रांकः–पेंशन विविध/LID-18376,20763,20776, 23255 /1173

दि0 15-11-2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
Andhra pradesh,
Saifabad, Hyderabad,
50004

विषयः– 1. उ0प्र0 शासन संख्या 11/ वे0आ0–2–563/दस–2017–04(एम0)/2017 दिनांक 27.07.2017
2. वित्त (आयोग) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या 20/2017/वे0आ0–2–886/दस–2017 – 04(एम0)/2017 दिनांक 21.09.2017.
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 7/2017 वे0आ0–1–666/ दस–2017–36(एम) /08 दिनांक 11.10..2017.

PAO-3

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियॉं संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों /पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय
(signature)
लेखाधिकारी/पेंशन विविध

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
02-NOV-17
492046

Office of the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
27 NOV 2017
No.

T.O., 563
30-11-17
30/11/17

Acceptance of

1. Revised Pay Matrix in VII CPC

2. ~~Bonus~~ Bedarp Bonus.

3. Arrears due to acceptance of revised Matrix

R23555

14/9/2017

संख्या 11/2017–वे0आ0–2–563/दस–2017–04 (एम)/2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

14 SEP

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 2017

विषयः–दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन–मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2016 के सादृश्य शासनादेश संख्या–65/2016/वे0 आ0–2–1442/दस–04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये तालिका लेवल–13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 के कम में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये संलग्नक की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल–13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ–3 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपरोक्त संशोधन से हुए वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन के अवशेष का भुगतान शासनादेश संख्या–67/2016/वे0आ0–2–1447/दस–04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर–10 की व्यवस्थानुसार दो वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

4. उपर्युक्त कम में राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या–66/2016/वे0आ0–2–1443/दस–04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, एवं

25.9.17

18376

SSADR-125

वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–67/2016/वे0आ0–2–1447/दस–04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका का लेवल–13 उक्त सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या– वे0आ0–2– (1)/दस–2017, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–I एवं II तथा आडिट– I एवं II, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
विशेष सचिव।